2002:सीजीएचसी:261 **प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 1763/2002</u>

सोनालाल सोनी, पिता स्व. श्री किशन लाल सोनी, आयु 58 वर्ष,

पेशा- फोटोग्राफर, निवासी महामाया वार्ड, मुंगेली

---------------------------याचिककर्ता

-विरुद्ध-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग छ.ग.राज्य डी.के.एस. भवन, रायपुर.
2. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ।
5. थाना प्रभारी, पुलिस थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर

-------------------------उत्तरदातागण

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए रिट</u> ।

6. अखिलेश सिंह ठाकुर, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता श्री महेंद्र सिंह,

निवासी केडुकांपा, मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़).

7. अनिल उर्फ अन्नू, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता श्री किशोर तांबेली,

निवासी सामुदायिक भवन के सामने, मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.).

8. विष्णु प्रसाद नाई, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता श्री सुग्रीव नाई,

निवासी रावण भाठा, मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

क्रम संख्या 6 से 8 वर्तमान में केन्द्रीय जेल, बिलासपुर में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरदाता क्रमांक 6 से 8 उचित पक्षकार हैं, क्योंकि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है, इसलिए उन्हें उत्तरदाता के रूप में संयोजित किया गया है, हालांकि उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

(युगल पीठ)

रिट याचिका क्रमांक 1763/2002

सोनालाल सोनी

- विरुद्ध -

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

विचारार्थ आदेश

सही/-

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के.श्रीवास्तव

सही/-

वी. के. श्रीवास्तव न्यायमूर्ति

18 मार्च, 2005 को आदेश हेतु नियत

एसडी/-

एल.सी. भादू न्यायमूर्ति

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 1763/2002

सोनालाल सोनी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

उपस्थित:-
श्री पी. के. सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
सहित श्री सुधीर वर्मा : याचिकाकर्ता की ओर से
श्री पी.के. वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता : उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 की ओर से
श्री के. ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता,
सहित श्री एन.पी. केला : उत्तरवादी क्रमांक 6 से 8 की ओर से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

युगल पीठ * :-

माननीय श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय श्री वी. के. श्रीवास्तव, न्यायमूर्तिगण

आदेश

(18 मार्च, 2005 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति एल. सी. भादू जे. द्वारा प्रदान किया गया:-

1. याचिकाकर्ता ने अपने पुत्र सोमेश कुमार सोनी की हत्या के संबंध में पुलिस थाना मुंगेली में पंजीकृत अपराध क्रमांक 87/2002 में उत्तरदाता क्रमांक 5 द्वारा किये गए ,अनुचित अन्वेषण

से असंतुष्ट और व्यथित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

2. इस रिट याचिका को प्रस्तुत करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और उनके पुत्र सोमेश सोनी वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी के व्यवसाय करते थे। वे मुंगेली में दुकान चलाते थे। याचिकाकर्ता का बेटा टैक्सी चलाने का व्यवसाय भी करता था। दिनांक 09.03.2002 को मुख्य आरोपी अखिलेश सिंह ठाकुर ने अपनी शादी के लिए सोमेश सोनी की टैक्सी किराए पर ली और उसने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी सोमेश सोनी को रखा। उस दिन दोपहर 12.00 से 1.00 बजे के बीच जब सोमेश कुमार सोनी ने अभियुक्त अखिलेश सिंह ठाकुर से अपनी टैक्सी के लिए डीजल खरीदने के लिए पैसे मांगे, तो इससे अखिलेश सिंह नाराज हो गया और उसी समय उसने अपने साथी से बंदूक ली और सोमेश सोनी के सिर एक गोली चला दी जिससे सोमेश सोनी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना मुंगेली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 87/2002 के तहत प्रकरण दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 10.06.2002 को अखिलेश सिंह, अनिल उर्फ अन्नू और विष्णु प्रसाद नाई के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपराध कारित करने के आरोप में अभियोग पत्र दाखिल किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसके पुत्र की हत्या के बाद, अखिलेश सिंह और उसके साथियों ने, जो मौके पर मौजूद थे, साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से मौके पर अराजकता फैलाई और घटनास्थल के आसपास स्थित दुकानों के दुकानदारों को दुकानें बंद करके भागने पर विवश कर दिया। याचिकाकर्ता का आगे का प्रकरण यह है कि घटना के समय सोमेश सोनी अपने वीडियो कैमरे के माध्यम से उक्त समारोह को कवर कर रहे थे, जबकि उनके एक साथी ने स्थिर फोटोग्राफी के माध्यम से इसे कवर किया और वीडियो शूटिंग में घटना मंच तक रिकॉर्ड हुई है जब अखिलेश सिंह ने 12 बोर की बंदूक ली और सोमेश सोनी पर गोली चलाई। यह जानकारी अन्वेषण अधिकारी को दी गई, उन्होंने वीडियो कैसेट भी एकत्र की, लेकिन इसका पंचनामा तैयार नहीं किया और कार्यवाही के दौरान इसे विचरण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का आगे का प्रकरण यह है कि सोमेश सोनी की हत्या के बाद हुई घटना से संबंधित सोनी समुदाय के विरुद्ध दर्ज 14 अन्य प्रकरण के संबंध में साक्षियों के बयान दर्ज किए गए थे। यद्यपि ये लोग सोमेश सोनी की हत्या की घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन सोमेश सोनी की हत्या से संबंधित अपराध संख्या 87/02 में उनके बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। इसके बाद, पुलिस ने पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बजाय याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, जो कथित तौर पर सोमेश सोनी की हत्या के बाद हुआ था। याचिकाकर्ता ने सोमेश सोनी की हत्या की निष्पक्ष अन्वेषण नहीं करने और सोमेश सोनी की हत्या के संबंध में उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य एकत्र नहीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने के लिए उत्तरवादी अधिकारियों को अनेक पत्र (अनुलग्नक पी-2) भेजे। इसलिए, यह प्रार्थना की गई है कि संपूर्ण अभिलेख मंगवाया जाए और यह निर्देश दिया जाए कि जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। यथा सीआईडी या सीबीआई या वैकल्पिक रूप से पुलिस को सुमेश सोनी की हत्या के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने का निर्देश दिया जाए।

4. राज्य की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह कहना गलत है कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई है और इस बात से भी इनकार किया गया है कि घटना के गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित वीडियो कैसेट को कब्जे में ले लिया गया है और उसे विचरण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से याचिका का रिजाइंडर दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि संदीप पांडे और हेमंत गजपाल के बयानों से स्पष्ट है कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, जो कि थाना मुंगेली में दर्ज अपराध क्रमांक 88/02 में दर्ज किए गए थे, लेकिन फिर भी अपराध क्रमांक 87/2002 में उनके कथन लेखबद्ध नहीं किए गए। इसके अलावा पांच अन्य व्यक्ति नीलेश सोनी, युवराज स्वर्णकार, रामशंकर राठौर, सुनील राठौर और मनोज राठौर भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी

थे, लेकिन पुलिस ने उनके कथन लेखबद्ध नहीं किए। इन व्यक्तियों के शपथपत्र में कहा गया है कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, जो अनुलग्नक पी-5 से पी-9 में दिए गए हैं।

6. मैंने याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. के. सी. तिवारी तथा अधिवक्ता श्री सुधीर वर्मा, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पी.के. वर्मा, तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.ए. अंसारी तथा अधिवक्ता श्री एन. पी. केला को सुना है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अन्वेषण अधिकारी ने इन व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद उपरोक्त 07 व्यक्तियों के साक्ष्य दर्ज नहीं किए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्ति, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और वीडियो कैसेट में भी दिखाई दिए थे, उनके कथन भी अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज नहीं किए गए, इसलिए अन्वेषण एजेंसी द्वारा निष्पक्ष अन्वेषण नहीं की गई है । ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को अन्वेषण एजेंसी को इन साक्षियों से जांच करने का निर्देश देना चाहिए। और उन्हें साक्षियों की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि उनका परिक्षण नहीं किया गया है और उन्हें साक्षियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

8. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह कहना सही नहीं है कि प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए तथा जहां तक नीलेश सोनी, युवराज स्वर्णकार,

रामशंकर राठौर, सुनील राठौर एवं मनोज राठौर का प्रश्न है, अंतिम तीन गवाह चांपा के निवासी हैं, उनके मौके पर उपस्थित रहने का कोई कारण नहीं था। इन पांचों व्यक्तियों ने कभी भी अपने साक्ष्य दर्ज कराने के लिए अन्वेषण अधिकारी से संपर्क नहीं किया। जहां तक संदीप पांडे एवं हेमंत गजपाल का प्रश्न है, यद्यपि अपराध क्रमांक 88/02 में दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत दर्ज उनके बयानों में इस बात का उल्लेख है कि वे घटनास्थल के पास स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स के कम्प्यूटर सेंटर में उपस्थित थे तथा उन्होंने यह भी कहा है कि सोमेश सोनी एवं अखिलेश सिंह ठाकुर के बीच कुछ कहासुनी के बाद अखिलेश सिंह द्वारा चलाई गई गोली से सोमेश सोनी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके कथनों को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। इसके अलावा, उन्होंने दिनांक 05.01.2003 को शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जबकि घटना दिनांक 09.03.2002 को हुई थी, इसलिए इतने लंबे अंतराल के बाद शपथपत्र प्रस्तुत करना उनकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. उत्तरदाता क्रमांक 6 से 8 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. ए. अंसारी ने तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता या गवाहों ने कोई अभ्यावेदन दिया हो या अन्वेषण अधिकारी से संपर्क कर यह खुलासा किया हो कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और उनके बयान दर्ज किए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह रिट याचिका केवल विचारण में देरी करने के लिए प्रस्तुत की गई है, क्योंकि सभी गवाहों के साक्ष्य पहले ही

दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण विचारण आगे नहीं बढ़ रहा है।

10. तथापि, श्री पी.के. वर्मा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री के. ए. अंसारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जहां तक संदीप पांडे और हेमंत गजपाल के बयान को दर्ज किये जाने का संबंध है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि अभियुक्तगण द्वारा सोमेश सोनी की हत्या के बारे में उनकी गवाही के संबंध में इन व्यक्तियों से जांच की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया। इस स्तर पर यह लाभदायक होगा यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत प्रावधानों पर एक नज़र डालें, जो पुलिस की अन्वेषण की शक्ति से संबंधित है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर भी नज़र डालना चाहिए। दं.प्र.सं. की धारा 2 (ज) परिभाषित करती है कि "अन्वेषण" में वे सभी कार्यवाहियां शामिल हैं जो इस संहिता के अधीन साक्ष्य के संग्रह के लिए एक पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हो द्वारा किया गया है। दं.प्र.सं. की धारा 161 अध्याय-XII के अंतर्गत पुलिस को सूचना और उनके अन्वेषण करने की शक्तियों से संबंधित है। यह धारा यह परिकल्पना करती है कि सक्षम पुलिस अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति की मौखिक रूप से जांच कर सकता है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की

उप-धारा (3) में परिकल्पना की जाती है कि “इस धारा के तहत अन्वेषण के दौरान किसी भी द्वारा दिए गए बयान को अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है; और यदि वह ऐसा करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसका बयान दर्ज किया गया है उसके बयान का एक अलग और सहीं रिकॉर्ड बनाता है।” इसलिए, अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी गवाह के बयान को लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, पुलिस अधिकारी के लिए उसके सामने दिए गए किसी भी बयान को दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। यदि वह आवश्यक समझता है तो वह ऐसा कर सकता है। इस धारा द्वारा आदेशित किया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा सत्य का खुलासा करना है जिसकी जांच की जा रही है। दं.प्र.सं. के अध्याय-XII के अंतर्गत धारा 173 (8) यह परिकल्पना करता है कि "इस खंड में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो किसी अपराध के संबंध में उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद आगे की अन्वेषण को रोकता है और जहां ऐसी जांच पर, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी आगे का साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है, वह मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारूप में ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें भेजेगा; और उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (2) के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।" इसलिए, दं.प्र.सं. की धारा 173 की उप- धारा (8) यह निर्धारित करती है कि अन्वेषण पूर्ण होने के बाद उप-धारा (2) के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद भी पुलिस अधिकारी को अपराध के संबंध में आगे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की अन्वेषण करने से नहीं रोका जाता है। इस प्रकार, अभियोग पत्र दाखिल करने के बाद भी उपरोक्त प्रावधानों के तहत पुलिस प्रकरण का आगे अन्वेषण कर सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल एआईआर 1994 सुप्रीम कोर्ट 604** के मामले में पैराग्राफ संख्या 62 में कहा कि

> "... किसी अपराध की अन्वेषण केवल पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जिनकी शक्तियां उस क्षेत्र में तब तक अप्रतिबंधित हैं जब तक संज्ञेय अपराधों के अन्वेषण करने की शक्ति "संहिता के अध्याय XII के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के सख्त अनुपालन में वैध रूप से प्रयोग की जाती है" और न्यायालयों को अन्वेषण के मार्ग को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, जब अन्वेषण एजेंसियां पूर्वोक्त रूप से अपनी विधिक सीमाओं के भीतर हैं। वास्तव में, संहिता के अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत यह एक उल्लेखनीय विशेषता है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस अन्वेषण के सभी चरणों में शामिल रखा जाता है, लेकिन उसे वास्तविक अन्वेषण में हस्तक्षेप करने या पुलिस को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि वह अन्वेषण कैसे किया जाए। *"परंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी परिचालित सीमाओं और अनुचितता का उल्लंघन करता है और किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अपनी*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण शक्तियों का अवैध रूप से प्रयोग करता है, जिससे किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो किसी भी शिकायत के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा संपर्क किए जाने पर न्यायालय को उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करना होगा और नागरिकों को बिना किसी निर्णय के उचित आदेश पारित करने होंगे। पुलिस की दया पर निर्भर रहना उचित है, क्योंकि मानवीय गरिमा हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण मूल्य है।" इस बात पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण उन्मुक्ति की मांग नहीं कर सकता, भले ही वह गलत हो और वह निर्विवाद अधिकार और असीमित शक्तियों का दावा कर सकता है, जिनका प्रयोग अथाह ब्रह्मांड तक किया जा सकता है। शक्ति की कोई भी मान्यता 'दैवीय शक्ति' की मान्यता के समान होगी, जिसका आनंद पृथ्वी पर कोई भी अधिकारी नहीं ले सकता।"

12. **ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1791** में प्रकाशित मामले **ओम प्रकाश नारंग एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "केवल इसलिए कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, आगे का अन्वेषण पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाता है। जब विचारण के दौरान दोषपूर्ण अन्वेषण प्रदर्शित होता है तो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परिस्थितियों के अनुसार इसे आगे की अन्वेषण से ठीक किया जा सकता है। आमतौर पर यह वांछनीय होगा और इस मामले में तो और भी अधिक कि पुलिस को न्यायालय को सूचित करना चाहिए और नए तथ्य सामने आने पर आगे अन्वेषण करने के लिए औपचारिक अनुमति मांगनी चाहिए बजाय इसके कि वह केवल शीघ्र विचारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मामले पर मौन रहे क्योंकि उचित अन्वेषण के दौरान पाए गए वास्तविक और वास्तविक अपराधों के लिए एक प्रभावी अन्वेषण उतना ही सुसंगत, वांछनीय और आवश्यक है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार न्यायालयों द्वारा मामले का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए तथा यदि आगे की अन्वेषण की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से विधि द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसा किया जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि मामले के विचरण में अधिक विलंब हो सकती है, आगे के अन्वेषण में बाधा नहीं बननी चाहिए, यदि इससे न्यायालय को सत्य तक पहुंचने तथा वास्तविक और सारवान तथा प्रभावी न्याय करने में सहायता मिलती है। **हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य तथा अन्य, 2004 में एआईआर एससीडब्लू 2063** में प्रकाशित मामले में दं. प्र. सं. की धारा 173 की उपधारा (8) की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि *"संहिता की धारा 173 की उपधारा (8) आगे अन्वेषण की अनुमति देती है, तथा न्यायालय से किसी भी निर्देश के बिना भी, न्यायालय द्वारा पहले प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट*

के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद भी पुलिस को उचित अन्वेषण करने की छूट है।

13. इसलिए, दं. प्र. सं. की धारा 173 की उपधारा (8) के प्रावधानों और उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोग पत्र प्रस्तुत करने और मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के बाद भी पुलिस को आगे अन्वेषण करने से नहीं रोका जाता है, बशर्ते कि यह पाया गया हो कि अन्वेषण दोषपूर्ण थी और नए तथ्य प्रकाश में आते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ दिया गया है, जो अन्वेषण के समय ध्यान में नहीं आए थे या अन्वेषण अधिकारी ने निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की है या जानबूझकर या त्रुटि से या जानबूझकर प्रकरण में आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने से चूक किया हैं जो संबंधित अपराध के साथ महत्वपूर्ण और सुसंगत हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. उपर्युक्त विधिक स्थिति और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि अन्वेषण अधिकारी मूलभूत साक्ष्य एकत्र करने में विफल रहा है और अन्वेषण निष्पक्ष और उचित नहीं थी, तो निश्चित रूप से, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकारिता का उपयोग करने का हकदार है, और आगे के अन्वेषण के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है।

जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 2004 एआईआर एससीडब्लू 2325** में प्रकाशित है।

> **"***यह कहना सही नहीं होगा कि केवल अभियुक्त के साथ ही निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा करना एक समान दृष्टि से समाज की ज़रूरतों और पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की ओर से नजरे मोड़ लेना होगा। हर किसी को दांडिक प्रकरण में निष्पक्ष व्यवहार करने का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है। निष्पक्ष विचारण से इनकार करना अभियुक्त के साथ उतना ही अन्याय है जितना पीड़ित और समाज के साथ। निष्पक्ष विचारण का अर्थ स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति के वातावरण के समक्ष सुनवाई होगी। निष्पक्ष विचारण का अर्थ है कि एक ऐसी सुनवाई जिसमें अभियुक्त, साक्षियों या जिस प्रकरण की सुनवाई हो रही है उसके पक्ष या विपक्ष में पक्षपात या पूर्वाग्रह को समाप्त किया जाता है। अगर गवाहों को धमकाया जाता है या उन्हें झूठे साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया जाता है तो भी निष्पक्ष विचारण नहीं होगी। महत्वपूर्ण गवाहों की सुनवाई न करना निश्चित रूप से निष्पक्ष सुनवाई नहीं है।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करें तो अपराध क्रमांक 88/02 में दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज संदीप पांडे और हेमंत गजपाल के कथनों के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय दोनों उसी परिसर में कंप्यूटर सेंटर में बैठे थे, जहां घटना हुई थी, और उन्होंने आगे कहा है कि आरोपी अखिलेश सिंह ठाकुर द्वारा सोमेश सोनी की गोली मारकर हत्या के बाद मृतक सोमेश सोनी के परिवार के सदस्य और अन्य समुदाय के लोग उग्र हो गए और हल्ला-गुल्ला मचाना और दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए, ये लोग मौके पर मौजूद थे। इन परिस्थितियों में, अन्वेषण अधिकारी को उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी या उनसे अखिलेश सिंह और अन्य द्वारा सोमेश सोनी की हत्या किए जाने के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी। इस स्तर पर, जैसा कि राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि हमें उनके साक्ष्य के गुण और दोष की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल यह देखना है कि क्या वे घटनास्थल पर मौजूद थे और यदि उनकी उपस्थिति साबित हो जाती है तो अन्वेषण अधिकारी को दं.प्र.सं. की धारा 161 के प्रावधानों के अनुसार उनसे जांच करने की आवश्यकता थी और मामले की केस डायरी में एक नोट बनाना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि इन गवाहों से जांच की गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. जहां तक अन्य पांच व्यक्तियों अर्थात नीलेश सोनी, युवराज स्वर्णकार, रामशंकर राठौर, सुनील राठौर और मनोज राठौर का संबंध है, जिन्होंने अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे और अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की गई, यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि वे घटना स्थल पर मौजूद थे और उनसे पूछताछ नहीं की गई। यद्यपि अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा आपत्ति उठाई गई है कि उन्होंने दस महीने बाद अर्थात् दिनांक 05.01.2003 को शपथपत्र प्रस्तुत किया है और जबकि घटना 09.03.2002 को हुई थी, और यह याचिका दिनांक 28.08.2002 को प्रस्तुत की गई थी, आरोप पत्र को पहले ही दिनांक 10.06.2002 को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए, वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और अंतिम तीन गवाह चांपा के निवासी हैं, इसलिए वे अपराध के गवाह नहीं हो सकते । हमारी सुविचारित राय में, इस स्तर पर फिर से इतने छोटे विवरण में जाना और इन गवाहों द्वारा लिए गए रुख की सत्यता की जांच करना आवश्यक नहीं है, जब वे प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे हैं, याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई थी, गवाहों की जांच नहीं की गई थी और याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि जब घटना हुई तब भी स्थिर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चल रही थी, लगातार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से तस्वीरें ली जा रही थीं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि घटना के समय वीडियोग्राफी में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, अन्वेषण अधिकारी को उनसे पूछताछ करानी चाहिए थी, इसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटना में सबसे अच्छा साक्ष्य फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी ही थी, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अन्वेषण अधिकारी को प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी देखनी चाहिए थी और उन व्यक्तियों से पूछताछ करनी चाहिए थी। उपरोक्त तथ्य के भी ध्यान में रखते हुए हमारा मत है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं की गई। इसलिए, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह हत्या का एक बहुत ही गंभीर अपराध है, जहां जांच एजेंसी को मामले की कुशल, प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से जांच करने की आवश्यकता थी। इसलिए, जब किसी मामले में आगे अन्वेषण आवश्यक है, और इस मामले में चूंकि संदीप पांडे और गजपाल से पूछताछ की जानी है और अन्वेषण अधिकारी को प्रत्यक्षदर्शियों का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफी और तस्वीरों को स्कैन करने की आवश्यकता है, तो उपरोक्त पांच व्यक्तियों से भी जांच की जा सकती है। निःसंदेह, सही स्थिति का पता लगाने के लिए, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और आरोपी व्यक्तियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं को अन्वेषण अधिकारी ध्यान में रख सकता है, और उसे इस बात का अन्वेषण करना चाहिए, कि क्या इन व्यक्तियों ने अपराध देखा था या नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे लिए तकनीकी आधार पर इन गवाहों की प्रार्थना को अस्वीकार करना उचित और तर्कसंगत नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, अन्वेषण एजेंसी भी वीडियो कैसेट का जब्ती ज्ञापन तैयार करने में विफल रही और यहां तक कि उस वीडियो कैसेट को भी साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया। यदि ऐसा है, तो यह अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता के बराबर होगा।

17.आरोपी व्यक्तियों के विद्वान अधिवक्ता ने **सत्यजीत बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (2005) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 115** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया तथा तर्क दिया कि इस निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। लेकिन मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हमारी राय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अभियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई मददगार नहीं है, क्योंकि उस मामले में न्यायालय पूर्ण सुनवाई के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद की स्थिति पर विचार कर रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सभी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय पुनः सुनवाई के लिए कह सकता है तथा ऐसा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जा सकता है तथा पुनः सुनवाई के लिए निर्देश सभी या प्रत्येक मामले में नहीं दिए जाने चाहिए, जहां अभियुक्त को पर्याप्त या विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया हो तथा ऐसा केवल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

असाधारण स्थिति में ही आदेश दिया जा सकता है, जहां सुनवाई एक दिखावा तथा नकली सुनवाई पाई जाती है।

18. इस मामले में, विचरण अभी भी लंबित है, क्योंकि इस रिट याचिका के दाखिल होने के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 22.12.2002 के आदेश के तहत आदेश दिया था कि 'विचारण जारी रखा जा सकता है, लेकिन अगले आदेश तक साक्ष्य समाप्त नहीं किए जाएंगे।' इसलिए, इस आदेश को ध्यान में रखते हुए विचारण अभी भी लंबित है और यदि दं.प्र.सं. की धारा 173 की उपधारा (8) के प्रावधान के ध्यान में रखते हुए आगे की अन्वेषण का आदेश दिया जाता है, तो इससे आरोपी व्यक्तियों को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामस्वरूप, हमारी यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता की रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है, और तदनुसार, इसे स्वीकार किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मुंगेली को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त सात साक्षियों से आगे की जांच करें कि क्या उन्होंने घटना को देखा है, और उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे घटना के समय लिए गए वीडियो कैसेट और फोटो का अवलोकन करें, और यदि कोई गवाह जांच के लिए छूट जाता है, तो अन्वेषण अधिकारी उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं और उसके बाद, दं.प्र.सं. की धारा 161 और 173 (8) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

20. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 22.12.2002 का आदेश जिसके तहत विचारण न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि साक्ष्य समाप्त नहीं किए जाएंगे, दं. प्र. सं. की धारा 173 (8) के तहत पुलिस द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक जारी रहेगा और उसके बाद विचरण न्यायालय परिस्थितियों एवं विधि के अनुसार आगे की सुनवाई करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता जांच के अंतिम परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे विचारण न्यायालय द्वारा विचार के लिए दं.प्र.सं. की धारा 311 के तहत आवेदन करने से नहीं रोका जाएगा और यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो विचरण न्यायालय, दं.प्र.सं. की धारा 311 के तहत साक्षी को बुलाने के संबंध में विधि के अनुसार उस पर निर्णय लेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21.आदेश समाप्ति से पहले हम यह देखना चाहेंगे कि अपराध के पीड़ितों या पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा समय- समय पर यह शिकायत की जाती है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अन्वेषण नहीं की जा रही है, जांच की प्रगति के बारे में उन्हें सूचित किए बिना उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है, जो कि उनके लिए उचित नहीं और हानिकारक है। इसके अलावा, अपराध के पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों को भी विचारण के समय अभियोजन पक्ष में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, अभियोजक उनकी बात नहीं सुन रहा है और उन्हें मामले की प्रगति और तैयारी के बारे में सूचित नहीं कर रहा है, विचारण में उनकी भागीदारी या अभियोजक को सहायता की अनुमति नहीं दी जा रही है और कभी-कभी

अभियोजक के प्रदर्शन से असंतुष्ट पीड़ित या उनके रिश्तेदार विचारण को उचित परिश्रम और आवश्यक मानक के साथ चलाने के लिए अपनी पसंद के अभियोजक की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के पास जा रहे हैं। यह सच है कि भारत की दांडिक न्याय प्रणाली में शिकायतकर्ता, अपराध के पीड़ित और पीड़ितों के रिश्तेदारों को अन्वेषण के चरण में या विचारण के चरण में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में, भारतीय न्यायालयों के साथ- साथ भारतीय विधायिकाओं ने दांडिक न्याय प्रणाली के प्रक्रियात्मक नियमों को पीड़ितों के लिए अधिक अनुकूल बनाने की कोशिश की है, खासकर महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों के खिलाफ़ अपराधों के संबंध में। उदाहरण के लिए, बलात्कार के मामलों में और साथ ही शिकायत दर्ज करने में देरी के मामलों में यह समझ में आता है और इससे शिकायत की विश्वसनीयता कम नहीं होगी और अभियोक्त्री के साक्ष्य को किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। सहमति के खिलाफ़ एक वैधानिक अनुमान बनाने के लिए साक्ष्य अधिनियम में धारा 114-ए जोड़ी गई थी, जिससे विचारण में अभियुक्त पर सहमति को साबित करने का भार डाला गया। वर्ष 1996 में एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया था कि वैधानिक संशोधन के बाद भी और "-------- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद कि ... अभियोक्त्री की पुष्टि आवश्यक नहीं थी, पुलिस द्वारा अपराध को ठीक से न संभाल पाने और बलात्कार के अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालयों द्वारा " सहमति" के सिद्धांत का आह्वान करने के कारण बलात्कार के मामलों में लगातार दोषमुक्ति हो रही हैं.. .।" एक बार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

फिर, न्यायालय ने महिलाओं के मन से भय दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे बिना किसी "भय मनोविकृति" के व्यवस्था में भाग ले सकें। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि दोषपूर्ण, अनुचित और अक्षम अधिकारी द्वारा अन्वेषण के कारण बड़ी संख्या में मामलों में दोषमुक्ति हो रही है और भारतीय न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि की दर 8% से अधिक नहीं है, जबकि सिंगापुर में दांडिक विधि भारतीय विधि के लगभग समान हैं, लेकिन फिर भी सिंगापुर में दोषसिद्धि की दर 90% से अधिक है। ऐसा नहीं है कि सभी झूठे मामले अभियुक्तगण पर थोपे जा रहे हैं, इसलिए मामले दोषमुक्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसे दोषसिद्धि के कारणों में जांच एजेंसी की योग्यता की कमी, वैज्ञानिक तरीके से जांच न करना, निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र न करना और पूरी तरह से प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य पर निर्भर रहना शामिल है, जो हमेशा एक बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यदि इच्छुक व्यक्ति, जो किसी भी तरह से दोषसिद्धि चाहता है, को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया जाता है, तो उसे निष्पक्ष विचारण नहीं कहा जा सकता है और यदि स्वतंत्र साक्षियों को सामान्य रूप से पेश किया जाता है तो अधिकांश स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष में अपनी अरुचि के कारण या आरोपी के डर के कारण या अन्य कारणों से पक्षद्रोही हो जाते हैं।

इसलिए, अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीके और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से सबसे अच्छा सबूत इकट्ठा किया जा सकता है। यह सही कहा गया है कि एक आदमी झूठ बोल सकता है

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लेकिन परिस्थितियाँ नहीं। इसके अलावा, अन्वेषण अधिकारी और अभियोजक पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों को वांछित स्तर तक उनकी सहायता करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, उन्हें अन्वेषण और विचारण में प्रगति के बारे में सूचित नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि गवाहों की सुरक्षा नहीं की जा रही है और उन्हें ठीक से संभाला नहीं जा रहा है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्य या विधानमंडल को निष्पक्ष अन्वेषण और विचारण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

अपराध पीड़ितों पर राष्ट्रपति के टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट (दिसंबर 1982) में कहा गया था कि "कहीं न कहीं सिस्टम ने इस सरल सत्य को भूला दिया है कि इसे निष्पक्ष होना चाहिए और कानून का पालन करने वालों की रक्षा करनी चाहिए जबकि कानून तोड़ने वालों को दंडित करना चाहिए। कहीं न कहीं, सिस्टम ने अधिवक्ताओ और न्यायाधीशों और प्रतिवादियों की सेवा करना शुरू कर दिया, जो पीड़ित के साथ संस्थागत उदासीनता से पेश आते हैं।" जहाँ तक दांडिक न्याय प्रणाली का प्रश्न है, अभियुक्त के अधिकारों के लिए एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ जिसमें दो प्रमुख अभिनेता, राज्य और अभियुक्त थे, पीड़ित कुछ समय के लिए पूरी दांडिक न्याय प्रणाली से दूर हो गया। यह प्रणाली पीड़ित के अधिकारों के बजाय अभियुक्त के अधिकारों पर केंद्रित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कठिनाई को महसूस करते हुए 1982 का पीड़ित और गवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें अपराध पीड़ितों को प्रतिपूर्ति और एक पूर्व-सजा रिपोर्ट के रूप में पीड़ित प्रभाव कथन को शामिल करने के प्रावधान शामिल हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिर दो वर्ष बाद, अपराध पीड़ितों का अधिनियम, 1984 अधिनियमित किया गया। इसके बावजूद, न्यायालयों ने माना कि पीड़ितों के पास पीड़ित और गवाह संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर से पीड़ित अधिकार वर्गीकरण अधिनियम, 1997 अधिनियमित किया गया, जिसमें प्रावधान है कि जिला न्यायालय (संघीय) किसी पीड़ित को केवल इसलिए विचारण से बाहर नहीं करेगा क्योंकि वह बाद में पीड़ित प्रभाव कथन प्रस्तुत कर सकता है। इस क़ानून पर हस्ताक्षर करते समय राष्ट्रपति क्लिंटन ने कथित तौर पर कहा था कि ". .. पीड़ित को आपराधिक न्याय प्रक्रिया के केंद्र में होना चाहिए, न कि बाहर से अंदर की ओर देखना चाहिए..."। अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा *"......पीड़ितों के साथ दया और उनकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्हें न्याय के तंत्र तक पहुंच और राष्ट्रीय कानून के अनुसार, उन्हें हुए नुकसान के लिए त्वरित निवारण पाने का अधिकार है.... जहां आवश्यक हो, न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र स्थापित और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि पीड़ितों को औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निवारण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके जो शीघ्र, निष्पक्ष, सस्ती और सुलभ हों। पीड़ितों को ऐसे तंत्रों के माध्यम से निवारण प्राप्त करने के उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।"*

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ऑस्ट्रेलियाई विधि में, अपराध पीड़ित अधिनियम, 1994 ने अपराध पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं। अधिनियम की धारा 4 में "शासी सिद्धांत" निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि *".. न्याय प्रशासन में, पीड़ितों के उपचार को, जहाँ तक संभव और उचित हो, निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:-*

"(a).......

(b) पीड़ित को संबंधित अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण की प्रगति के बारे में उचित अंतराल पर (सामान्यतः एक माह से अधिक नहीं) सूचित किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां ऐसे खुलासे से अन्वेषण खतरे में पड़ सकती हो, और उस स्थिति में पीड़ित को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए;

(c) पीड़ित को अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों तथा आरोपों में किसी भी संशोधन के बारे में सूचित किया जाना चाहिए;

(d) पीड़ित को अभियुक्त द्वारा कम गंभीर आरोप में दोषी होने की दलील स्वीकार करने या सजा में नरमी की सिफारिश के बदले में दोषी होने की दलील स्वीकार करने के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(e) अभियुक्त के विरुद्ध आरोप आगे न बढ़ाने के किसी भी निर्णय के बारे में पीड़ित को सूचित किया जान चाहिए:

(f)................

(g) पीड़ित को विचारण की प्रक्रिया तथा गवाहों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए:

(h)...........

(i) पीड़ित को प्रारंभिक सुनवाई या प्रतिबद्धता कार्यवाही में उपस्थित होने से मुक्त किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे;"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसलिए, यह उचित समय है कि विधानमंडल भारतीय न्यायालयों में दोषमुक्त होने की दर को ध्यान में रखे और पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों की अन्वेषण या विचारण के चरण में भागीदारी सुनिश्चित करे। यह सत्य है कि कभी-कभी अगर पीड़ितों या पीड़ितों के रिश्तेदारों को अन्वेषण और विचारण में बोलने की पूरी छूट दे दी जाती है, तो कभी-कभी वे किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपनी शर्तें तय करने की प्रयास कर सकते हैं, भले ही वह अपराध में शामिल न हो, लेकिन यह अन्वेषण अधिकारी और अभियोजक के लिए स्थिति का आकलन करने और पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों को वांछित स्तर तक भागीदारी की अनुमति देने का काम है, लेकिन इस आधार पर अन्वेषण और विचारण में उनकी भागीदारी को रोका नहीं जा

सकता और उनके दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। कम से कम, विधानमंडल इस बात पर विचार कर सकता है कि पीड़ित या पीड़ित के रिश्तेदारों को संबंधित अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण की प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के खुलासे से अन्वेषण को खतरा हो सकता है, पीड़ित को आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और आरोपों में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उसे जांच की प्रगति, एकत्र किए गए साक्ष्य के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, विचारण के चरण में उसे उचित अंतराल के साथ विचारण की प्रगति, अन्वेषण और विचारण के परिणाम के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अन्वेषण अधिकारी और अभियोजक को उनसे संपर्क में रहना चाहिए जब भी उनकी सहायता या किसी भी जानकारी की आवश्यकता हो । हमारे विचार से पीड़ितों और पीड़ितों के रिश्तेदारों की इस तरह की भागीदारी की अनुमति दिए बिना आपराधिक न्याय प्रणाली में कुछ भी सुधार नहीं होने वाला है जिसकी हर समय आलोचना की जाती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एसडी/-
एल.सी. भादू
न्यायमूर्ति

एसडी//-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: Kamlesh Kumar Sahu